



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

02 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 222 राँची, मंगलवार,

23 मार्च, 2021 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

23 मार्च, 2021/2 चैत्र, 1943 (शक)

100/पूर्व अनु.-1/झार.-वि.स./1/2021 :- यतः झारखण्ड राज्य की विधान सभा में 13-मधुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री हाजी हुसैन अंसारी की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 3 अक्टूबर, 2020 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) झारखण्ड राज्य से उक्त 13-मधुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्दीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 4 मई, 2021 (मंगलवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- (क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 30 मार्च, 2021 (मंगलवार)
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख : 31 मार्च, 2021 (बुधवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 3 अप्रैल, 2021 (शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा : 17 अप्रैल, 2021 (शनिवार)
- (ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा : 4 मई, 2021 (मंगलवार)

नियत करता है; और

- (इ) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 6:00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से

अरविन्द आनन्द,
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION****23rd March, 2021/2 Chaitra, 1943 (Saka)**

No.100/ES-1/JKD-LA/1/2021:- WHEREAS, the seat of **Sh. Haji Hussain Ansari**, in the Legislative Assembly of the State of Jharkhand, elected from **13-Madhupur** Assembly Constituency in the State, has become vacant on **3rd October, 2020** by reason of his death; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) **calls upon** the said **13-Madhupur** Assembly Constituency in the State of Jharkhand, to elect, before the **4th May, 2021 (Tuesday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) **appoints**, with respect to the said election:-
- (a) 30th March, 2021 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) 31st March, 2021 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 3rd April, 2021 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 17th April, 2021 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 4th May, 2021 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed; **and**
- (C) **fixes the hours** from **7.00 A.M. to 6.00 P.M.** as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

ARVIND ANAND,
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA.